न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी
(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)
पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **56/2019 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री रामप्रसाद विजयवर्गीय पिता सुरजमल विजयवर्गीय निवासी खनिज विभाग के सामने, बिजौलियां तहसील बिजौलियां
——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाडा
——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी उपस्थित नहीं
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 22.07.2019

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बिजौलियां के विरूद्व दिनांक 14.06.2019 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु एक आवेदन दिनांक 13.06.2019 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बिजौलियां को प्रस्तुत किया।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 01.07.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बिजौलियां के पत्रांक/राजस्व/सू.प्र./2019/985–86 दिनांक 22.07.2019 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में कार्यालय तहसीलदार बिजौलियां के पत्रांक/राजस्व/सू.अ.अ./2019/616 दिनांक 26.04.2019 से सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक से अपीलार्थी को प्रेषित की गयी।

अतएव अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा सूचना प्रेषित कर दिए जाने से अपील प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 22.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा